न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 49/2024 G.C.M.S. No. 2024/192 दर्ज दिनांक : 28.06.2024

अपीलार्थिगण:

1. गायत्रीदेवी पुत्री मोहनलाल जी जाति जटिया (सिंघारिया) उम्र 50 वर्ष, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मोहनलाल पुत्र लाबु उर्फ लाला फौत के का.मु.
   1. प्रसन्ना पुत्री मोहनलाल
   2. दमयंती पुत्री मोहनलाल
   3. कुलदीप उर्फ डेविड पुत्र मोहनलाल
   4. टीकू पुत्री मोहनलाल
   5. बसंती पुत्री मोहनलाल
   6. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोहनलाल
   7. तुलसी पुत्री मोहनलाल

   जातियान जटिया, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण
2. सुनील पहाड़िया पुत्र कालूराम पहाड़िया, जाति खटीक, निवासी जैतारण तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
3. मोहनलाल पुत्र श्यामाराम, जाति मेघवाल, निवासी हुनावास कलां, तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
4. तहसीलदार जैतारण, जिला ब्यावर।
5. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, जिला ब्यावर।
6. पटवारी पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.05.2024 को राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 98/2024 में उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा गायत्री बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री जगदीश सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री किशोर कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कायम मुकाम

निर्णय

दिनांक: 07.11.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जैतारण के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 98/2024 बअनवान गायत्री बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या एक के कायम मुकाम के पूर्वजों की खातेदारी व संयुक्त कब्जेकाश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में खसरा संख्या 19 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 20 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 6 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा 30 बीघा 6 बिस्वा की आई हुई हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट के समय काबिज खातेदार लाला पुत्र तिलोक के नाम से थीं, जो लालाराम पुत्र तिलोक प्रार्थिया के दादा लाबु उर्फ लाला व अप्रार्थी संख्या एक स्वर्गीय मोहनलाल के पिता थें। लाला पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

तिलोक के फौत होने पर जरिये विरासम नामांतरकरण संख्या 359 के विधिक वारिसान इनके दोनों पुत्रों हमीरमल, मोहनलाल पुत्र लाबू उर्फ लाला के नाम से भरा जा कर स्वीकृत किया गया अर्थात उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में लाला पुत्र तिलोक के स्थान पर हमीरमल, मोहनलाल पिसरान लाबू उर्फ लाला के नाम दर्ज हुआ। प्रार्थिया जाति से जटिया है, जो जन्म से हिन्दू है। प्रार्थिया के दादा व अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल के पिता लाबू उर्फ लाला के पौत्र व पुत्र है, जो साझा हिन्दू परिवार के सदस्य है। साझा हिन्दू परिवार के कर्ता मृतक लाबू उर्फ लाला पुत्र तिलोक थें। प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1 व इनके कायम मुकाम अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 के पूर्वजों से ही जो संपत्ति उनके स्वतः आधिपत्य में रही हैं, यह साझा हिन्दू परिवार हिन्दू विधि से प्रशासित है। जिसमें जन्म से ही स्वतः प्रार्थिया के हक, अधिकार व स्वामित्व निहित हो जाता है। उक्त वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा संपत्ति होने के कारण प्रार्थिया उस पर काबिज है, अर्थात उक्त भूमि शामलाती है। जिसका By metes and bounds सिद्धांत से बंटवाड़ा भी नहीं हो रखा है। संपूर्ण भूमि के हर एक इंच पर प्रार्थिया का हक, हिस्सा आता है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त विवादित भूमि में 1/2 वां हिस्सा बनता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 स्वर्गीय मोहनलाल के नाम पैतृक संपत्ति मं प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 का जन्म होते ही हक, अधिकार स्वतः ही निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 मृतक मोहनलाल का 1/2 का 1/10 वां अर्थात 1/20 वां हिस्सा बनता है। उसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल व हमीरमल पुत्र लाबु के पुत्र चेलाराम पुत्र हमीरराम ने उक्त आराजी का विधि विरूद्ध विभाजन नामांतरकरण संख्या 3216 के जरिये दिनांक 11.12.2011 को किया, तब अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल के हिस्से में खसरा संख्या 19 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 20 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि रही। किन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर कूटरचित विक्रय–विलेख के जरिये अप्रार्थी संख्या 2 सुनील पहाडिया को दिनांक 07.02.2023 को राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से में नाम म्यूटेशन संख्या 4900 दर्ज करवा दिया एवं साथ ही खसरा संख्या 6 का भी अप्रार्थी संख्या 3 मोहनलाल मेघवाल के पक्ष में बेचान कर दिया। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल ने प्रार्थिया की बिना जानकारी व बिना सहमति के एकतरफा प्रार्थिया को व इनके भाई, बहन व माता को उसके पुश्तैनी हक अधिकारों की खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि से बेदखल करने की नियत से कूटरचित व फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी अजनबी व्यक्ति को बिना बंटवाड़े के संयुक्त शामलाती भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को पंजीबद्ध बेचान करवा दिया। हालांकि मौका स्थिति व प्रार्थिया के कब्जेकाश्त में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है तथा आज दिन तक प्रार्थिया बतौर खातेदार अपने हक–हिस्से पर काश्त कर रही हैं। उक्त तथाकथित पंजीबद्ध बेचान विलेख प्रार्थिया के हक–अधिकारों के विपरीत होने से Void ab initio अर्थात शून्य दस्तोवज मात्र है। इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट तौर पर विदित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुचित प्रविष्टियों के

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर अपने हक–हिस्से अर्थात Notional Shares से अधिक भूमि यानि विरासत में मिली संपूर्ण भूमि का बेचान कर दिया। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में तथ्यों को छुपाते हुए अपील प्रस्तुत कर एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली हैं, जिससे हम पीड़ित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अंतिम या अंतरिम किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया है। इसके बावजूद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 03.05.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की हैं। जबकि आदेशिका दिनांक 03.05.2024 में केवल यह अंकित है कि "वकील सा उपस्थित। वकील सा ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैर सायल धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज किया जावें। गैरसायल को जरिये नोटिसेज तलब किया जावें। पत्रावली आयंदा दिनांक 27.06.2024 को पेश हों।" अतः शीघ्र सुनवाई कर स्थगन आदेश दिनांक 05.07.2024 को निरस्त फरमावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता अपीलांट को दिलाकर प्रकरण में अपीलांट का जवाब प्राप्त किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट गायत्री देवी की ओर से रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 98/2024 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत हस्तगत अपील एवं इसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो दिनांक 28.06.2024 को दर्ज किया जाकर प्रकरण में दिनांक 05.07.2024 को रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई।

2. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत व रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ प्रस्तुत फेहरिस्त दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट गायत्री देवी पुत्री मोहनलाल द्वारा रेस्पोंडेंट के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.05.2024 जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नानुसार अंकन किया है– "वकील सा उपस्थित। वकील सा ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैर सायल धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज किया जावें। गैरसायल को जरिये नोटिसेज तलब किया जावें। पत्रावली आयंदा दिनांक 27.06.2024 को पेश हों।" अतः समस्त संशय से परे यह स्पष्ट है कि दिनांक 03.05.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो कोई अंतरिम आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

किया है व न ही अंतिम आदेश पारित किया है। केवल प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करते हुए आगामी तारीख पेशी दी गई हैं।

3. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 (1) (2) के अनुसार सहायक कलक्टर तथा उपखंड अधिकारी द्वारा तृतीय परिशिष्ट में उल्लेखित आवेदन पत्र पर पारित अंतिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो इस अधिनियम की धारा 212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 104 में उल्लेखित है, के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष किए जाने का विधिक प्रावधान है। अतः स्पष्ट है कि अपीलाधीन कथित आदेश दिनांक 03.05.2024 न तो अंतिम या अंतरिम आदेश है तथा न ही इसे किसी भी दृष्टि से कोई आदेश या आज्ञा मानी जा सकती हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट विधिक प्राधिकार एवं प्रावधानों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं तथा न्यायालय हाजा द्वारा उक्त अपील का विचारण किया जाना विधिसंगत एवं उचित नहीं हैं। अतः प्रकरण में रेस्पोंडेंट के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा पारित अतरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.07.2024 को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट न्यायालय हाजा के विचारणीय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत वर्जित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा के विचारणीय क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार से परे होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत वर्जित होने से आदेश दिनांक 05.07.2024 को रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध पारित अंतरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner